केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं.　CICOM/A/P/21/00008
CICOM/R/P/20/00497

अपीलकर्ता :　श्री हरिभजन
पुत्र - स्व0 श्री कृपाशंकर गोडिया
ग्राम - बाबूगंज, मजरे अटरा
थाना - बछरावां, तह0 - महाराजगंज
पो0 - हरदोई, जनपद - रायबरेली
उत्तर प्रदेश ।

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.08.2020
केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आर.टी.आई. आवेदन प्राप्त होने की तिथि	03.11.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.11.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री राम कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	09.12.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील प्राप्त होने की तिथि	07.01.2021
निर्णय की तारीख	27.01.2021

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा राष्ट्रपति कार्यालय को प्रेषित दिनांक 24.08.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. यह कि आपके समक्ष दिनांक 20.06.2020 को रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था । जिसपर अब तक क्या कार्यवाही हुई, कृपया समय सीमा के अंदर प्रमाणित उत्तर उपलब्ध करवाएं ।
2. यह कि अब तक क्या कार्यवाही हुई और विलम्ब का कारण भी समय सीमा के अंदर उपलब्ध करायें ।
3. यह कि प्रकरण का निस्तारणकिस तिथि तक होगा उस तिथि का उल्लेख करें ।

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के पत्र के माध्यम से उक्त आर.टी.आई. आवेदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग का अग्रसारित किया गया जिसमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि "20.06.2020 के शिकायत पत्र को इस विभाग के लोक शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा CPGRAMS पंजीकरण सं. DOPAT/P/2020/00656 दिनांक 21.10.2020 द्वारा ऑनलाईन माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजा गया है" ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
02 FEB 2021
D. No.
Initials

0/c.

प्रदान की गई सूचना

2. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/P/20/00497 दिनांक 27.11.2020 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई:-

> 'बिंदु सं. 1, 2 व 3 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपका शिकायती पत्र दिनांकित 20.06.2020 का निपटारा केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा (CPGRAM) पोर्टल पर किया जा चुका है तथा उसी की प्रतिलिपि आपको केन्द्रीय सूचना आयोग के पत्र सं. (CIC/2020/MISC/23718/CR-II) दिनांकित 23.11.2020 के तहत प्रेषित की जा चुकी है । (प्रतिलिपि संलग्न)' ।

प्रथम अपील का आधार

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि "आज तक मुझे न्याय नहीं मिला है और ही समुचित कोई सूचना उपलब्ध करायी गई है" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 20.06.2020 का शिकायती पत्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा CPGRAMS पंजीकरण सं. DOPAT/P/2020/00656 दिनांक 21.10.2020 द्वारा ऑनलाईन माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग को भेजा गया जिसका निस्तारण केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा किया गया जिसकी सूचना अपीलकर्ता को भी उपलब्ध करवाई गई । श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2020 के पत्र के माध्यम से प्रेषित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार ही है । अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

निर्णय की तारीख: 27 जनवरी, 2021.

मीना शर्मा 27/01/2021

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, (CR-II), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

Rabin Kumar
DEO, CR-II
02/02/2021

2/2/21